

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं.-(07819) 245622, फैक्स- 245622 ई-मेल - df0_jchampa@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./4447
प्रति

2020/चांपा/दिनांक 7-8-2020

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for The Proposed Project pertains to Development of Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur- Uurga section of NH-130A (Raipur- Dhanbad Economic Corridor which shall start at Junction with NH-130 & NH-130A area- 47.552 ha- regarding !

—पंजीयन क्रमांक — FP/CG/ROAD/38338/2018

-----::-----

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

बि.क.1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से तक) -

बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए निर्माण हेतु वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि 47.552 हे. की मांग की गई है।

बि.क.2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) -

FP/CG/ROAD/38338/2018

बि.क.3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) -

वनभूमि रकबा 42.401 हे. है।

बि.क.4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - उपयोगकर्ता अभिकरण के नाम से राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का*जंगल) रकबा 5.151 हे. है।

बि.क.5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोशीट 1: 50,000 स्केल पर संलग्न है।

बि.क.6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क.7. प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ सेतक) - प्रपत्र 4 में प्रस्ताव संलग्न है।

बि.क.8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - संलग्न है।

बि.क.9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... सेतक) - संलग्न है।

बि.क.10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - संलग्न है।

बि.क.11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - संलग्न है।

- बि.क.12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र - अ एवं ब में)(प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र अ एवं ब में तैयार कर संलग्न है।
- बि.क.13. कास्ट/बेनेफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ) - गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रजाति के वृक्षों का विदोहन कास्ट बेनेफिट एनालिसिस पत्रक संलग्न है।
- बि.क.14. चयनित गैर वन क्षेत्र/निजि भूमि (पंचशाला खसरा की नकल,मानचित्र,सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) -राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) - वृक्षारोपण हेतु दुगने वनभूमि 95.205हे. को मरवाही वनमंडल में चयन किया गया है। अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.15. गैर वन के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - चूकि प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वन भूमि का चयन किया गया है। अतः आसपास के गैर वन क्षेत्र के नक्शे की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठसे तक) - क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण का प्रस्ताव ग्राम कोड़गार तह. पेण्ड्रा मरवाही वनमंडल में चयन किया गया है।
- बि.क.17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - वन मण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल के द्वारा पत्र क्रमांक/तक.अधि./2985 दिनांक 18.06.2020 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को अतिक्रमण रहित तथा वन प्रबंधन एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना प्रमाणित किया गया है।
- बि.क.18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- बि.क.19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावशील वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है।
- बि.क.20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावशील वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किसी अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है। अतः उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।
- बि.क.21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन मण्डल अंतर्गत वन भूमि को चयनित किया गया है अतः गैर वन भूमि की अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ .. से ... तक) - संस्थान हड्डवे-परियोजना से संबंधित है जिससे संयंत्र निर्माण के लिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - संस्थान हाइवे-परियोजना से संबंधित है जिससे संयंत्र निर्माण के लिए रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.24. माईनिंग प्लान IBM द्वारा अनुमोदन (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ ..से ... तक) - संस्थान हाइवे-परियोजना से संबंधित है जिससे संयंत्र निर्माण के लिए माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) - संयंत्र से प्रभावित होने वाले राजस्व वन क्षेत्र में किसी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं भाग 2 एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।
- बि.क.27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) - प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व के स्थल पर मूर्ति या चिन्ह का समावेश नहीं है।

- बि.क.28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) – ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा 250.066 हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ सेतक) – जिले की कुल वन भूमि का विवरण संलग्न है।
- बि.क.30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 232.894 हे. है।
- बि.क.31. व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) – संलग्न है।
- बि.क.32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न हाने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) – राजस्व वन भूमि हेतु गैरवानिकी उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है।
- बि.क.33. 15 कि. मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ सेतक) – संस्थान विद्युत उत्पादन से संबंधित है अतः 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।
- बि.क.34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) – वन अधिकार मान्यता पत्र किसी को नहीं दिया गया है जिस हेतु प्रदर्श अ, ब एवं स तथा जिला स्तरीय वन अधिकार समिति एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति बैठक की कार्यवाही विवरण संलग्न है।
- बि.क.35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ से तक) – संबंधित संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत संलग्न करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।
- बि.क.36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ ... से तक) – संस्थान के द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया गया है।
- बि.क.37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) – बिन्दुवार 1 से 8 तक दर्शित कैपा चार्जेश मांगपत्र दिये जाने पर जो नियमानुसार लागू होगा को जमा करने का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क.38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ ...से ... तक) – संलग्न है।
- बि.क.39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 130 से 130 तक) – संलग्न है।
- बि.क.40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other nonforestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) – प्रकरण से संबंधित नहीं है।
- बि.क.41. पंजीयन कमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ से ... तक) – संलग्न है।
- बि.क.42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) – प्रकरण से संबंधित नहीं है।
- बि.क.43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... से .. तक) – अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।

बि.क.44 प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... से ... तक) — प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के अभिलेख की कमी नहीं है का प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वन मंडल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए बिलापसुर से उरगा के लिए पंजीयन क्रमांक **FP/CG/ROAD/38338/2018** आबंटित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण/प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त प्रकरण में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावित क्षेत्र वन्य प्राणी रहवास क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित है।
3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन मण्डल अंतर्गत ग्राम कोडगार तहसील पेण्ड्रा में वन भूमि उपलब्ध कराई गई है जो कि अतिक्रमण रहित एवं वृक्षारोपण/वन विकास के लिए उपयुक्त है के संबंध में वन मण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा सत्यापित किया गया है।
4. वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण किसी को नहीं किया गया है जिसके संबंध में संबंधित संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत संलग्न करने हेतु बचन पत्र दिया गया है।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्लयीरेंस प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
6. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की गणना पत्रक एवं कास्ट बेनेफिट एनालिसिस की जानकारी संलग्न है।


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल